प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में गौ तस्करी पर चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है प्रभावी कार्यवाही।

□थाना सकलडीहा व थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा 03 वाहनो (02 पिकअप व 01 मैजिक) में क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु ले जा रहे कुल 07 राशि पशुओं को बरामद करते हुए 05 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली –पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के रास्ते विभिन्न राज्य व जनपदों में पशुओं की तस्करी करने वाले अपराधियों के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुए पशु तस्करो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा व क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सकलडीहा व थाना प्रभावी शहाबगंज की प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 16.09.2024 को 03 वाहनो से कुल 07 पशुओं को बरामद करते हुए 05 शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

1.**थाना सकलडीहा-**

□सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा 02 पिकअप वाहन से   02 राशि गोवंश मय 02 राशि बछड़ा व 01 राशि भैंस कुल (05 पशुओ) को बरामद करते हुए, 03 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 16.09.2024 को उ0नि0 त्रिवेणी प्रसाद तिवारी मय हमराह सकलडीहा बाजार में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेंकिग के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुयी कि दो पिकअप वाहन गोवंशो को वध हेतु चहनिया की तरफ सैयदराजा होते हुये बिहार जाने वाले है, मुखबीर की इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 त्रिवेणी प्रसाद तिवारी

व मय हमराह को उक्त सूचना से अवगत कराते हुये अलीनगर तिराहे पर बैरिकेंटिग कर वाहनो की सघन चेकिंग कर ही रहे थे कि थोडी ही देर में गये दोनो पिकअप वाहन संख्या (UP 67 BT 0126) तथा दूसरी पिकअप (INTRA PICK UP V 10 बिना नम्बर प्लेट) को घेराबन्दी करके पकड़ लिया गया। दोनो वाहनों से कुल 05 पशुओ के साथ 03 शातिर पशु तस्करो को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी एंव बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-153/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 बनाम 1.वीरु सिंह पुत्र वंशनारायण सिंह निवासी ग्राम विसुपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली 2.रामचन्द्र यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी ग्राम सोहदवार मेढ़ी थाना सैयदराजा जिला चन्दौली 3. प्रदीप सिंह उर्फ पप्पू पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी ग्राम मैढ़ी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह गाय वध हेतु जनपद गाजीपुर के देहार से सस्ते दामों पर खरीदकर बिहार ले जाते है। जिससे हम लोगो को अच्छी धनराशि प्राप्त होती है।

पंजीकृत आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 153/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.वीरु सिंह पुत्र वंशनारायण सिंह निवासी ग्राम विसुपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष

2.रामचन्द्र यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी ग्राम सोहदवार मेढ़ी थाना सैयदराजा जिला चन्दौली उम्र 26 वर्ष

3.प्रदीप सिंह उर्फ पप्पू पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी ग्राम मैढ़ी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 47 वर्ष

विवरण बरामदगी-

1-02 राशि गोवंश (02 अदद बछड़ा व 01 राशि भैंस जिन्दा)

2-01 पिकअप वाहन सं0-UP67 BT 0126

3-01 (INTRA PICKUP V10) बिना नम्बर

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.SO संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 त्रिवेणी प्रसाद तिवारी कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.का0 अरविन्द सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

4.का0 धर्मेन्द्र यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

5.का0 प्रश्वीन दूबे कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.थाना शहाबगंज-

□थाना शहाबगंज पुलिस द्वारा 01 टाटा मैजिक वाहन मे 02 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 02 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 16.09.2024 को उ0नि0 अभिषेक शुक्ला मय हमराह संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक नीले रंग की टाटा ACE मैजिक चंदौली की तरफ से करनौल नहर होते हुए शहाबगंज के रास्ते इलिया होते हुए कुछ गोवंशीय पशुओं को वध हेतु बिहार ले जा रहे है। इस सूचना पर थाना शहाबगंज पुलिस टीम करनौल नहर पर आकर गौवंश से लदे वाहन का इन्तजार करने लगे कि थोड़ी देर बाद एक नीले रंग की टाटा मैजिक वाहन आते दिखाई दिया। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा टाटा मैजिक वाहन को घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया । पुलिस कब्जे में लिए गये वाहन से 02 गोवंश के साथ 02 शातिर पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 98/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

पंजीकृत आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 98/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कपिल चौबे पुत्र स्व. गुपुत चौबे निवासी ग्राम डेहरी थाना इलिया जनपद चंदौली उम्र करीब 44 वर्ष

2. बृजेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व. मुरलीधर जायसवाल निवासी ग्राम बेन तियरी थाना इलिया जनपद चंदौली उम्र. करीब 38 वर्ष

स्थान गिरफ्तारीः-

करनौल नहर के पास थाना क्षेत्र शहाबगंज जनपद चन्दौली

बरामदगी विवरण –

1. दो राशि गोवंश (01 गाय, 01 बछड़ा)
2. 01 टाटा मैजिक (UP67 T 7953)
3. नकदी-3419 रू0
4. 02 मोबाइल

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष मिर्जा रिजवान बेग थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अभिषेक शुक्ला थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
3. का0 राजू चौहान थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
4. का0 राहुल यादव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2024

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

□थाना सैयदराजा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गो तस्करी का वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

□25000रू0/- का इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे वांछित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी की कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे थाना सैयदराजा पुलिस टीम व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 223/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय में वाँछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्त लालजी यादव पुत्र लालू उर्फ कल्लू उर्फ रामलाल यादव निवासी कछवा बाजार थाना कछवा जनपद मिर्जापुर उ0प्र0 को कटका रेलवे फाटक से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लालजी यादव पुत्र लालू उर्फ कल्लू उर्फ रामलाल यादव निवासी कछवा बाजार थाना कछवा जनपद मिर्जापुर उम्र 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु.अ.सं. 223/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान

कटका रेटवे फाटक के पास थाना कछवा जिला मिर्जापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस व स्वाट टीम का विवरण –

1.निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उप निरीक्षक- आफताब आलम थाना सैयदराजा चन्दौली।

3.उपनिरीक्षक रामप्यारे चौधरी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

4.प्रभारी स्वाट आशीष मिश्रा स्वाट टीम चन्दौली

5.हे.का. राणा सिंह स्वाट टीम चन्दौली

6.हे.का रामानन्द स्वाट टीम चन्दौली

7.हे.का. अरविन्द कुमार स्वाट टीम चन्दौली

8.हे.का. राजेश यादव स्वाट टीम चन्दौली

9.हे.का. प्रेमप्रकाश स्वाट टीम चन्दौली

10.अजीत सिंह स्वाट टीम चन्दौली

11.हे.का. गया प्रसाद थाना सैयदराजा चन्दौली।

12हे.का. संतोष सिंह चन्देल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.09.2024

थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद में वांछित अभियुक्त/वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल थाना कन्दवा द्वारा गठित टीम के सहयोग से मु0नि0 26/12 धारा 354/506 भा0द0वि0 व 3(1) एस.सी,एस.टी एक्ट से सम्बंधित एनबीडब्लू वारण्टी शतुरंजन कुमार सिंह पुत्र श्याम बिहारी सिंह निवासी ग्राम चारी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली 48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी

शतुरंजन कुमार सिंह पुत्र श्याम बिहारी सिंह निवासी ग्राम चारी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली 48 वर्ष

गिरफ्तारी में पुलिस टीम का विवरण -

1.प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 रविकांत चौहान थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 देवेन्द्र कुमार सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-17.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 16.06.1996 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अजय यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी बसन्तू के मड़ई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली 2.सतीश सिंह उर्फ पप्पू पुत्र मोहन सिंह निवासी झांसी थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 150/1996 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार मिश्रा (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-16.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डी)/एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली के द्वारा अभियुक्त 1.अजय यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी बसन्तू के मड़ई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली 2.सतीश सिंह उर्फ पप्पू पुत्र मोहन सिंह निवासी झांसी थाना व जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-17.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 07.05.2003 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामचेल पुत्र हितनी बिन्द निवासी नेगुरा थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 70/2003 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार मिश्रा (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-16.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डी)/एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली 1.रामचेल पुत्र हितनी बिन्द निवासी नेगुरा थाना धानापुर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-17.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 31.05.2005 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सुनील कुमार सिंह पुत्र तशुराज सिंह निवासी बर्थरा कला थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 100/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ),मनीष कुमार(एसपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार मुख्य आरक्षी रमाशंकर यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-17.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा 1.सुनील कुमार सिंह पुत्र तशुराज सिंह निवासी बर्थरा कला थाना व जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनाँक 17.09.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

□ नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण

□ हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण/निर्देशन में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना नौगढ़ पर गठित पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 64/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात का आज दिनांक 17.09.2024 को सफल अनावरण किया गया। हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना- दिनांक 16/17.06.2024 की रात्रि रीना देवी पत्नी चन्द्रिका अपनी दो लड़कियो व पड़ोस के धीरज की लड़की व देवर की लड़की निर्जला उम्र करीब 12 वर्ष को लेकर पड़ोस के गांव विनायकपुर नाँच देखने गयी थी, उसके देवर की बेटी निर्जला घर वापस नहीं आयी जब कि रीना अपनी दो पुत्रियों व धीरज की बेटी के साथ अपने घर वापस आ गयी। दि० 17.06.24 की सुबह निर्जला का शव जमुना चौकीदार के झोपड़ी के पास पाया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अन्तर्गत धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर अनावरण हेतु सर्विलांस, एस.ओ.जी, क्राईम ब्रांच व थाना की टीमें गठित कर सघन प्रयास किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता द्वारा पूछताछ में बताया गया कि रीना देवी पत्नी चन्द्रिका व विनायकपुर गांव के निवासी राजनाथ का अवैध प्रेम प्रसंग था जिसके बारे में निर्जला जान गयी थी और रीना व राजनाथ को इस बात का डर था कि कही वह घर वालो से ना बता दें इसलिए रीना व राजनाथ द्वारा निर्जला की हत्या करने की साजिश रची गयी। उन्होनें साजिश के तहत निर्जला की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद घटना को दूसरा रूप देने के लिए मृतका के कपड़े को अस्त व्यस्त कर दिया। घटना के पश्चात राजनाथ द्वारा रीना को फोन कर घटना बताई गयी और राजनाथ द्वारा रीना को चुपचाप घर जाने हेतु कहा गया तत्पश्चात रीना अपनी बच्चियो को लेकर घर चली गयी और निर्जला के बारे में उसके घर व किसी को नहीं बताया गया।

पजीकृंत अभियोग:- मु0अ0सं0 64/24 धारा 302/120B भादवि थाना नौगढ,चन्दौली

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-

1.राजनाथ पुत्र नखडू नि0 विनायकपुर थाना नौगढ जनपद चन्दौली उम्र 40 वर्ष

2.रीना देवी पत्नी चन्द्रिका नि0 मलेवर कठार थाना नौगढ जनपद चन्दौली उम्र 38 वर्ष

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

1 कृपेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष नौगढ थाना नौगढ जनपद चन्दौली

2.का0 संदीप यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

3.का0 विशाल यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

4.का0 अंजू थाना नौगढ जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 154 टेट्रा पैक 08 पीएम अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 तस्कर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में शराब/मादक पदार्थ तस्करों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली एवम् क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.09.2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर रेमा मोड़ थाना अलीनगर से समय करीब रात्रि 00.15 बजे चेकिंग के दौरान नीले रंग के बैग में 84 टेट्रा पैक 8 PM तथा काले रंग के बैग में 70 टेट्रा पैक अवैध अंग्रेजी शराब कुल 154 पैक 08 पीएम अंग्रेजी शराब बरामद कर तस्कर संदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भरारी थाना चाँद जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 232/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम 1.संदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भरारी थाना चाँद जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार व 2. अंग्रेजी शराब सूजाबाद दुकान का सेल्स मैन 3.अंग्रेजी शराब सूजाबाद दुकान का मालिक के अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अंग्रेजी शराब सूजाबाद सेल्स मैन और मालिक की तलाश की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

संदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भरारी थाना चाँद जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि बरामद शराब को वह सूजाबाद अग्रेजी शराब की दुकान से लेकर आ रहा था। वहाँ के सेल्स मैन और मालिक ने हमसे कहा था कि वह शराब लेकर भभुआ बिहार जाये।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु.अ.सं. 232/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी -

नीले रंग के बैग में 84 टेट्रा पैक 8 PM नाजायज तथा काले रंग के बैग में 70 टेट्रा पैक नाजायज अंग्रेजी शराब कुल मात्रा 154 पैक 08 पीएम अंग्रेजी शराब

बरामद शराब की अनुमानित कीमत (बिहार प्रान्त के अनुसार) करीब 30000/- रूपये आंकी गयी है।

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उप निरीक्षक गोविन्द सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 राम सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 पन्ना लाल यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 संतोष कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 17.09.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 22 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 17.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 22 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।